



CENTRAL RAILWAY.
No. MD/CH/WCR/JBP/Empanel.

MD's Office, JBP
Date: 16/02/2017.

AS PER RAILWAY BOARD INSTRUCTION, INVITATION OF APPLICATION FOR
SIGNING OF MoU WITH EMPANELLED RECOGNISED CGHS/ECHS AND ESI
HOSPITALS FOR TWO YEARS.

In reference to above, all the empanelled CGHS / ECHS and ESI
recognised Hospitals are invited for signing of MoU to be a part of cashless
treatment scheme in emergency (CTSE) for two years. Agreement is to be
signed for two years with Railway Administration.

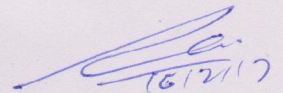
Recognised CGHS/ECHS and ESI Hospitals are requested to submit their
consent with copy of registration letter in Medical Director's Office within 10
days.

Hospitals who have already submitted their application need not to
submit their application again.

Later on for two years agreement hospital will have to sign MoU with
two lakhs bank guarantee as per guidelines enclosed. You will be informed for
agreement and bank guarantee.

Further information can be collected from below mentioned website
Google - search - Type -

Railway board Directorates – Ministry of Railways-Health –CTSE Policy letter.


16/2/17

Medical Director,
Central Hospital, WCR/Jabalpur.

चिकित्सा निदेशक,
कन्द्रीय चिकित्सालय, प.म.रेल, जबलपुर



पश्चिम मध्य रेल

पत्र क्र:-एमडी/सीएच/पमरे/जबल/इम्पैनल

चिकित्सा निदेशक कार्यालय, जबलपुर

दिनांक 16.02.2017

रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश के अनुसार जबलपुर के समस्त CGHS/ ECHS एवं ESI से मान्यता प्राप्त या पंजीयन अस्पतालों का दो वर्ष के लिए अनुबन्ध/उपरोक्त मान्यता प्राप्त अस्पतालों से M.O.U. Sign करने के लिए आवेदन आम्रन्त्रित किया जाता है।

—00—

उपरोक्त सम्बंध में अनुरोध है कि जबलपुर के समस्त CGHS/ ECHS एवं ESI से मान्यता प्राप्त या पंजीयन अस्पतालों का दो वर्ष के लिए अनुबन्ध/ M.O.U. Sign करने के लिए आवेदन आम्रन्त्रित किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे मरीजों के इलाज हेतु एग्रीमेंट 02 वर्ष के लिए किया जाना है।

उक्त कार्य के लिए प्रकाशन से 10 दिन के अन्दर सभी अस्पताल अभी केवल अपना आवेदन CGHS/ ECHS एवं ESI से मान्यता प्राप्त पंजीयन का प्रमाण पत्र की प्रति के साथ चिकित्सा निदेशक केन्द्रीय चिकित्सालय जबलपुर के कार्यालय में जमा करें।

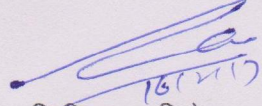
जो अस्पताल अपना आवेदन इस कार्यालय को दे दिया है उनको दूबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं है।

दो वर्ष के एग्रीमेंट के लिए अस्पताल को दो लाख की बैंक गारन्टी तथा संलग्न गाइड लाइन के अनुसार MoU Sign. करना होगा। एग्रीमेंट करने व बैंक गारन्टी के लिए आप को सूचित किया जायेगा।

ज्यादा जानकारी व शर्तों के लिए इसे नीचे साइट पर देखा जा सकता है।

Google-search- Type -

Railway board Directorates -Ministry of Railways - Health -CTSE Policy Letter.


चिकित्सा निदेशक
केन्द्रीय चिकित्सालय
प.म.रेल. जबलपुर
Medical Director
Central Hospital, W.C.Rlv., Jabalpur